

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/9/2024

अपीलांट ओमप्रकाश बावरी पुत्र श्री खेताराम बावरी
निवासी वार्ड नं. 2 ग्राम पं. सिणधरी चौसीरा, पं.स. सिणधरी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 05.02.2024

अपीलांट ओमप्रकाश बावरी पुत्र श्री खेताराम बावरी निवासी वार्ड नं. 2 ग्राम पं. सिणधरी चौसीरा, पं.स. सिणधरी ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 16.01.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की प्रति एवं शुल्क रुपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या ऑनलाईन दिनांक 22.12.2023 का प्रतिपुर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब में अंकित किया कि अपीलांट को कार्यालय के पत्र क्रमांक 19 दिनांक 05.01.2024 के द्वारा सूचित किया जाकर प्रार्थना-पत्र का निस्तारण कर दिया गया है लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट की अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो एवं सूचना का अधिकार प्रार्थना-पत्र में वांछित सूचना उपलब्ध कराई जाकर प्रार्थना-पत्र का नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अवलोकन एवं विवेचन उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलांट एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 05.02.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।



2
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर